

**न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर**

क्रमांक : आम सूचना /

दिनांक : 18.05.2021

**आम सूचना**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र क्रमांक 02/पीआई/2021 दिनांक 19.04.2021, 07/पीआई/2021 दिनांक 02.05.2021 एवं 08/पीआई/2021 दिनांक 16.05.2021 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 18.05.2021 से दिनांक 24.05.2021 तक के कार्य दिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी :-


1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरणों
3. व्यादेश/स्थगन संबन्धी प्रकरणों
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी/मृत्युकालिक कथन
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हों।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा :-

वर्तमान नियत तिथि	ऐसे मामलों में जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, उनमें सुनवाई की तिथि	दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में आगामी नियत तिथि
18.05.2021	01.06.2021	26.07.2021
19.05.2021	02.06.2021	27.07.2021
20.05.2021	03.06.2021	28.07.2021
21.05.2021	04.06.2021	29.07.2021
22.05.2021	05.06.2021	30.07.2021
24.05.2021	07.06.2021	31.07.2021

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा। परिवर्तित तिथियाँ शीघ्र ही सी.आई.एस. 3.0 पर अपडेट कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण की अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई कराना चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी, परंतु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवे।

  
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
धौलपुर

क्रमांक 380-344/21

दिनांक 18-5-21

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर

2. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ धौलपुर

3. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित कर लेख है कि सूचना न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करे।

**न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर**

क्रमांक : आम सूचना/03

दिनांक : 18.05.2021

**आम सूचना**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र क्रमांक 02/पीआई/2021 दिनांक 19.04.2021, 07/पीआई/2021 दिनांक 02.05.2021 एवं 08/पीआई/2021 दिनांक 16.05.2021 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 18.05.2021 से दिनांक 24.05.2021 तक के कार्य दिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी :-

1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरणों
3. व्यादेश/स्थगन संबन्धी प्रकरणों
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी/मृत्युकालिक कथन
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हों।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा :-

वर्तमान नियत तिथि	ऐसे मामलों में जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, उनमें सुनवाई की तिथि	दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में आगामी नियत तिथि
18.05.2021	01.06.2021	26.07.2021
19.05.2021	02.06.2021	27.07.2021
20.05.2021	03.06.2021	28.07.2021
21.05.2021	04.06.2021	29.07.2021
22.05.2021	05.06.2021	30.07.2021
24.05.2021	07.06.2021	31.07.2021

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा। परिवर्तित तिथियाँ शीघ्र ही सी.आई.एस. 3.0 पर अपडेट कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण की अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई कराना चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी, परंतु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवे।

**सिविल न्यायाधीश एवं  
न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
धौलपुर**

क्रमांक 105

दिनांक 18/5/21

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर
2. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ धौलपुर
3. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित कर लेख है कि सूचना न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करे।

**न्यायालय : अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 3, धौलपुर**

क्रमांक : आम सूचना /

दिनांक : 18.05.2021

**आम सूचना**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र क्रमांक 02/पीआई/2021 दिनांक 19.04.2021, 07/पीआई/2021 दिनांक 02.05.2021 एवं 08/पीआई/2021 दिनांक 16.05.2021 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 18.05.2021 से दिनांक 24.05.2021 तक के कार्य दिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी :-


1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरणों
3. व्यादेश/स्थगन संबन्धी प्रकरणों
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी/मृत्युकालिक कथन
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हों।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियां सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा :-

वर्तमान नियत तिथि	ऐसे मामलों में जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, उनमें सुनवाई की तिथि	दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में आगामी नियत तिथि
18.05.2021	01.06.2021	26.07.2021
19.05.2021	02.06.2021	27.07.2021
20.05.2021	03.06.2021	28.07.2021
21.05.2021	04.06.2021	29.07.2021
22.05.2021	05.06.2021	30.07.2021
24.05.2021	07.06.2021	31.07.2021

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियां सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा। परिवर्तित तिथियां शीघ्र ही सी.आई.एस. 3.0 पर अपडेट कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण की अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई कराना चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी, परंतु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवे।

  
अति. सिविल न्यायाधीश एवं  
न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 3,  
धौलपुर

क्रमांक 86

दिनांक 18/5/21

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर
2. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ धौलपुर
3. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित कर लेख है कि सूचना न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करे।

**कार्यालय: अति.सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.01, धौलपुर**

दिनांक :- 18.05.2021

क्रमांक :- आम सूचना/2021/02

**:- आम सूचना :-**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र क्रमांक 08/पी आई/2021 दिनांक 16.05.2021 द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 05/पी आई/2021 दिनांक 19.04.2021 एवं श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के आदेश क्रमांक स्था./2021/72 दिनांक 17.05.2021 एवं पूर्व में जारी आदेश क्रमांक स्था./2021/54 दिनांक 20.04.2021 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 18.05.2021 से दिनांक 24.05.2021 तक के कार्य दिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी:-

1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरणों
3. व्यादेश/स्थगन संबंधी प्रकरणों
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. बयान अंतर्गत धारा 164 सी आर पी सी/मृत्युकालिक कथन
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हों।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियां सुनिश्चित की जाती है। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा:-

वर्तमान नियत तिथि	ऐसे मामलों में जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, उनमें सुनवाई की तिथि	दीवानी प्रकरणों में आगामी नियत तिथि	फौजदारी प्रकरणों में आगामी नियत तिथि
18.05.2021	01.06.2021	09.07.2021	11.06.2021
19.05.2021	02.06.2021	12.07.2021	14.06.2021
20.05.2021	03.06.2021	13.07.2021	15.06.2021
21.05.2021	04.06.2021	14.07.2021	16.06.2021
22.05.2021	05.06.2021	15.07.2021	17.06.2021
24.05.2021	07.06.2021	16.07.2021	18.06.2021

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियां सुनिश्चित की जाती है। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा। परिवर्तित तिथियां शीघ्र ही सी.आई.एस. 3.0 पर अपडेट कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण की अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई कराना चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा। नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी, परंतु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवे।

-sd-

अति. सिविल न्यायाधीश एवं  
न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.01  
धौलपुर

दिनांक :- 18.05.2021

क्रमांक :- **रीस्ट/118**

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर
2. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ धौलपुर
3. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित कर लेख है कि सूचना न्यायालय की वेबसाइट पर

**कार्यालय: अति.सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.02, धौलपुर**

क्रमांक :- आम सूचना/2021/

दिनांक :- 18.05.2021

**:- आम सूचना :-**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र क्रमांक 08/पी आई/2021 दिनांक 16.05.2021 द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 05/पी आई/2021 दिनांक 19.04.2021 एवं श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के आदेश क्रमांक स्था./2021/72 दिनांक 17.05.2021 एवं पूर्व में जारी आदेश क्रमांक स्था./2021/54 दिनांक 20.04.2021 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 18.05.2021 से दिनांक 24.05.2021 तक के कार्य दिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी:-

1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरणों
3. व्यादेश/स्थगन संबंधी प्रकरणों
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. बयान अंतर्गत धारा 164 सी आर पी सी/मृत्युकालिक कथन
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हों।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियां सुनिश्चित की जाती है। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा:-

वर्तमान नियत तिथि	ऐसे मामलों में जिनमें दीवानी प्रकरणों में फौजदारी प्रकरणों में	ऐसे मामलों में जिनमें दीवानी प्रकरणों में फौजदारी प्रकरणों में	ऐसे मामलों में जिनमें दीवानी प्रकरणों में फौजदारी प्रकरणों में
	अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, उनमें सुनवाई की तिथि	आगामी नियत तिथि	आगामी नियत तिथि
18.05.2021	01.06.2021	09.07.2021	11.06.2021
19.05.2021	02.06.2021	12.07.2021	14.06.2021
20.05.2021	03.06.2021	13.07.2021	15.06.2021
21.05.2021	04.06.2021	14.07.2021	16.06.2021
22.05.2021	05.06.2021	15.07.2021	17.06.2021
24.05.2021	07.06.2021	16.07.2021	18.06.2021

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियां सुनिश्चित की जाती है। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा। परिवर्तित तिथियां शीघ्र ही सी.आई.एस. 3.0 पर अपडेट कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण की अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई कराना चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी, परंतु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवे।

— ३१ —  
अति. सिविल न्यायाधीश एवं  
न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.02  
धौलपुर

दिनांक :- 18.05.2021

क्रमांक :- 15/2021/94

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर
2. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ धौलपुर
3. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित कर लेख है कि सूचना न्यायालय की वेबसाइट पर